न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 56 / 2025 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025 / 87
दायर दिनांक :– 10.03.2025 निर्णय दिनांक :– 02.06.2025

1. बाबूराम पुत्र मेवाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम बारू तहसील बाप जिला फलोदी

प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)

अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आश्य से पेश किया है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि ग्राम बारू पटवार हल्का बारू तहसील बाप जिला फलोदी में खसरा नम्बर 126 / 2 रकबा 12.4805 हैक्टेयर के रूप में स्थित है। नकल जमाबंदी सम्वत 2078–2081 संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उपरोक्त भूमि प्रार्थी के द्वारा जरिये पंजीबद्व विकय पत्र के खरीद है जिसमें प्रार्थी का नाम बाबूराम पुत्र मेवाराम वल्द देसलाराम टंकित है उक्त विकय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 2002 मौजा बारू भरा जाकर स्वीकृत जिसमें तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा बाबूराम पुत्र मेवाराम वल्द देसलाराम दर्ज कर दिया तथा तत्कालीन पटवार हल्का द्वारा आगामी जमाबंदी चौसाला तैयार करते समय प्रार्थी का नाम बाबूराम पुत्र मेवाराम वल्द देसलाराम के स्थान पर बाबूराम पुत्र देसलाराम पिता देसलाराम दर्ज कर दिया। उक्त त्रृटिपूर्ण नाम बाबूराम पुत्र देसलाराम पिता देसलाराम आज तक राजस्व रेकर्ड में दर्ज चला आ रहा है जो कि अशुद्व व त्रृटिपूर्ण है। जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम बाबूराम पुत्र मेवाराम है जो पहचान सम्बन्धित दस्तावेजात से प्रमाणित है। प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम बाबूराम पुत्र मेवाराम है जो कि प्रार्थी के पहचान संबंधित समस्त दस्तावेज आधार कार्ड इत्यादि में बदस्तूर रिकार्ड दर्ज चला आ रहा है परन्तु प्रार्थी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम बाबूराम पुत्र देसलाराम पिता देसलाराम दर्ज चले आने से प्रार्थी को किसी भी तरह की ऋण सुविधा तथा सरकारी योजनाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। प्रार्थी अपने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज गलत नाम बाबूराम पुत्र देसलाराम पिता देसलाराम को दुरूस्त करवाकर उसके स्थान पर अपना सही व वास्तविक नाम बाबूराम पुत्र मेवाराम दर्ज करवाना चाहता है जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 2 की तरफ से अधिवक्ता मोहम्मद रफीक द्वारा

02/6/25

जवाबतनामा मय इकाबलिया जवाब पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी सं. 1 तहसीलदार बाप ने जवाब पेश कर बताया कि ग्राम बारू पटवार हल्का बारू तहसील बाप के खसरा नम्बर 126/2 रकबा 12.4805 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम बाबूराम पुत्र देसलाराम पिता देसलाराम के स्थान पर बाबूराम पुत्र मेवाराम दुरूस्त किया जाना उचित है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन चिन्तन एवं मनन करने पर पाया गया कि ग्राम बारू पटवार हल्का बारू तहसील बाप के खसरा नम्बर 126/2 रकबा 12.4805 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थना पत्र के संलग्न नामान्तरकरण संख्या 2002 मौजा बारू में प्रार्थी का नाम बाबूराम पुत्र मेवाराम वल्द देसलाराम दर्ज हुआ। उक्त भूमि प्रार्थी के नाम विक्रय पत्र के जरिये राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। आगामी जमाबंदी चौसाला तैयार करते समय प्रार्थी का नाम बाबूराम पुत्र मेवाराम वल्द देसलाराम के स्थान पर बाबूराम पुत्र देसलाराम पिता देसलाराम दर्ज कर दिया गया। वर्तमान में प्रार्थी का नाम बाबूराम पुत्र देसलाराम पिता देसलाराम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज है। प्रार्थी का वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम बाबूराम पुत्र मेवाराम है जो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो आधार कार्ड, तहसीलदार, बाप के जवाब इत्यादि से साबित है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश किये है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम बारू पटवार हल्का बारू तहसील बाप के खसरा नम्बर 126/2 रकबा 12.4805 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का गलत दर्ज नाम बाबूराम पुत्र देसलाराम पिता देसलाराम दुरूस्त कर बाबूराम पुत्र मेवाराम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.06.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02/6/25

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)